



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 पौष 1935 (श0)
(सं0 पटना 930) पटना, सोमवार, 23 दिसम्बर 2013

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचनाएं

20 दिसम्बर 2013

बिहार पर्यावरण एवं वन विभागीय क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2013

सं0 अरा0 स्था0(से0शर्त)—94/07/वन 4338/प0व0—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल पर्यावरण एवं वन विभाग की अधिसूचना संख्या—2942, दिनांक 14.08.2013 के द्वारा प्रकाशित बिहार पर्यावरण एवं वन विभाग क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2013 के नियम 4 के उप-नियम (क) को निम्नलिखित द्वारा तुरत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं:—

“(क) आशुलिपिक ग्रेड—III के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या उसके समकक्ष के अलावे आशुलेखन एवं कम्प्यूटर टंकण में दक्षता के आधार पर होंगी।”

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

20 दिसम्बर 2013

सं0 अरा0 स्था0(से0शर्त)—94/07/वन 4339/प0व0—बिहार पर्यावरण एवं वन विभागीय क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित संशोधित नियमावली 2013 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

The 20th December 2013

**Bihar Environment and Forest Department field Stenographer cadre (Amendment)
Rules-2013**

No. अरा0 स्था0(से0शर्त)—94/07/वन 4338/प0व0—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to

substitute sub-rule (a) of Rule 4 of the Bihar Environment & Forest Department field Stenographer cadre Rules, 2013 published vide Environment & Forest Department, Notification No.- 2942 dated 14-8-2013 by the following with immediate effect:-

“(a) The minimum educational qualification for appointment to the post of Stenographer Grade-III shall be intermediate (10+2) pass or equivalent, besides, competency in Stenography and Computer Typing.”

By order of the Governor of Bihar,
DIPAK KUMAR SINGH,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 930-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>